रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/99 REGISTERED No. D.L. 33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मई 11, 2002/वैशाख 21, 1924
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 11, 2002/VAISAKHA 21, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2002

आ.अ. 27.—यतः, सितम्बर, 1999 में हुए 46-ट्राम्बे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी श्री नासिर जमाल चौथा समर क्वीन आर्थर बन्दर रोड, कोलाबा, मुम्बई-400001 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण निर्वाचन आयोग ने 8 अक्तूबर, 2001 के अपने आदेश संख्या 76/महा-वि.स./99 के द्वारा निरर्हित घोषित कर दिया गया था।

यतः, उक्त श्री नासिर जमाल ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण देते हुए, अपने ऊपर अध्यारोपित निरर्हता को हटाने के लिए निर्वाचन आयोग के समक्ष 5 जनवरी, 2002 को एक याचिका प्रस्तुत की थी।

यतः उक्त याचिका पर विचार करने के बाद और इस मामले से सम्बन्धित सभी सारवान् तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और 28-3-2002 को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के पश्चात् निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन आयोग के 8 अक्तूबर, 2001 द्वारा श्री नासिर जमाल पर अध्यारोपित निरर्हता, अपने 28 मार्च, 2002 के अपने आदेश द्वारा, 28 मार्च, 2002 से शेष अवधि के लिए निरर्हता हटाता है।

1366 GI/2002

अतः अब, आयोग के आदेश संख्या 76/महा-वि.स./99, दिनांक 8 अक्तूबर, 2001 से संलग्न सारणी के क्रम संख्या 13 पर पड़ने वाला उक्त श्री नासिर जमाल का नाम 28 मार्च, 2002 से उक्त आदेश से हटा लिया समझा जाएगा।

[सं. 76/महा-वि.स./99]

आदेश से,

सी. आर. ब्रह्मम, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2002

O.N. 27.—Whereas, Shri Nasir Jamal, 4th Samar Queen Arthur Bunder Road Colaba, Mumbai-400001, Maharashtra, a contesting candidate for the General Election to Legislative Assembly from 46-Trombay Assembly Constituency held in September, 1999 was disqualified by the Election Commission of India vide its order No. 76/MT-LA/99 dated 8th October, 2001 under section 10A of the Representation of the People Act, 1951 for failure to lodge any account as required by the said Act and Rule made thereunder; and

Whereas the said Shri Nasir Jamal had submitted a petition dated 5th January, 2002 before the Election Commission of India for removal of disqualification imposed on him, giving reasons for his failure to lodge the account of his election expenses;

Whereas, after considering the said petition and taking into account all material facts of the case and also after heraing the candidate personally on 28-3-2002 the Election Commision, in exercise of the powers conferred by Section 11 of the Representation of the People Act 1951, has vide its order dated 28th March, 2002 removed the disqualalification of Shri Nasir Jamal imposed upon him by the Commission's order dated 8th October, 2001 under section 10A of the said Act with effect from 28th March, 2002 for the remaining period ;

Now, therefore, the name of the said Shri Nasir Jamal appearing at Sl. No. 13 in the Table appended to the Commission's order No. 76/MT-LA/99 dated 8th October, 2001 shall be deemed to have been omitted from the said order with effect from 28th March, 2002.

[No. 76/MT-LA/99]

By Order,

C. R. BRAHMAM Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2002

आ.अ. 28.—यतः, उड़ीसा विधान सभा 2000 के लिए 95-खरियर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से साधारण निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी श्री वृन्दावन मोहनन्दा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः श्री वृन्दावन मोहनन्दा ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है;

और यतः निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त अभ्यर्थी के पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग इसके द्वारा श्री वृन्दावन मोहनन्दा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/उड़ीसा-वि.स./2001]

आदेश से,

के. आर. प्रसाद, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th April, 2002

O. N. 28 .Whereas, Shri Brundaban Mohananda, a contesting candidate at the General election to the Orissa Assembly, 2000, held from 95-Khariar Assembly Constituency has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, Whereas, Shri Brundaban Mohananda has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission;

And, whereas, the Election Commission is satisfied that the said candidate has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri Brundaban Mohananda to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this Order.

[No. 76/OR-LA/2001]

BY Order,

K. R. PRASAD, Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2002

आ.अ. 29.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा डा. अजीत रायजादा, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री डी. एस. माथुर, आई.ए.एस. (एम.पी. : 71) को उनके कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री डी.एस. माथुर, मध्य प्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री डी.एस. माथुर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के रूप में कार्य करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/म.प्र./2002-कार्मिक प्रशासन]

आदेश से,

शंगारा राम, अवर सचिव

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2002

आ.अ. 30.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री पी.सी. कपूर, आई.ए.एस. के स्थान पर श्रीमती मनीषा नन्दा, आई.ए.एस. (एच.पी. : 85) को उनके कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्रीमती मनीषा नन्दा, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्रीमती मनीषा नन्दा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के रूप में कार्य करते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/हि.प्र./2002-कार्मिक प्रशासन]

आदेश से,

शंगारा राम, अवर सचिव

New Delhi, the 30th April, 2002

O.N. 29.—In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Madhya Pradesh hereby nominates Shri D.S. Mathur, IAS (MP : 71), as the Chief Electoral Officer for the State of Madhya Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Dr. Ajit Raizada, IAS.

2. Shri D.S. Mathur shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Madhya Pradesh, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri D.S. Mathur while functioning as the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Madhya Pradesh except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/MP/2002-P. Admn.]

By Order,

SHANGARA RAM, Under Secy.

New Delhi, the 30th April, 2002

O.N. 30.—In Exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Himachal Pradesh hereby nominates Smt. Manisha Nanda, IAS (HP : 85), as the Chief Electoral Officer for the State of Himachal Pradesh with effect from the date she takes over charge and until further orders vice Shri P.C. Kapoor, IAS.

2. Smt. Manisha Nanda shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Himachal Pradesh, which she may be holding before such assumption of office.

3. Smt. Manisha Nanda while functioning as the Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Himachal Pradesh except that she should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/HP/2002-P. Admn.]

By Order,

SANGHARA RAM, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 2002